न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/28/2016	01–08–2016	05–12–2019

01– रामपाल,
02– फत्तू उर्फ फतेहचन्द पुत्रान् श्री रूमाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम किशनगढ़–बास तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

01– अशोक कुमार,
02– राकेश कुमार,
03– राजेश कुमार पुत्रान् हरज्ञान,
04– राजवती पुत्री हरज्ञान जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐतमादपुर तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद हरियाणा, वारिसान् फूलवती पुत्री गुलाब,
05– तहसीलदार किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार किशनगढ़–बास इंतकाल संख्या 1845 दिनांक 23.11.2015

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़–बास के आदेश दिनांक 23.11.2015 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1845 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आलोच्य आदेश की जानकारी अपीलांट को दि0 24.07.2016 को हुई है। जिससे यह अपील बिना देरी के अंदर मियाद पेश की गयी है। जिस हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पृथक से पेश किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा (0.49 है0) का 1/2 भाग तरफ उत्तर व हाल खसरा नम्बर 490 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा (0.63 है0) ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढ़बास में स्थित है। उक्त आराजी फूलवती पुत्री गुलाब जाति गुर्जर की थी। जिसने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी व अन्य सम्पत्ति के संबंध में नवल उपनाम बरकत पुत्र अमीचंद जाति गुर्जर निवासी किशनगढबास को जरिये रजि0 मुख्तयारनामा दि0 27.04.1974 को नियुक्त किया गया। जिस मुख्तयारनामे को उप–पंजीयक से पंजीबद्ध कराया गया। उक्त मुख्तयारआम में उक्त आराजी को जरिये रजि0 बयनामा दि0 27.07.1979 को हम अपीलांट का विक्रय कर दिया और प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा दे दिया गया। उक्त आराजी पर हम अपीलांट खरीद समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर वर्तमान —

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

में अपीलांट का कब्जा है। राजस्व रेकॉर्ड में अंकन हो रहा है। अभिलिखित खातेदार फूलवती व उसका मुख्तयारआम व उसके वारिस रैस्पो0 01 लगा0 04 हम अपीलांट को उक्त आराजी का बेचान करने के बाद गैर काबिज व गैर वास्ता शक्स है। फूलवती का स्वर्गवास दि0 02.08.1998 को हो चुका है। जिसकी विरासत का इंतकाल उक्त रैस्पो0 01 लगा0 04 ने राजस्व कर्मचारियान् व रैस्पो0 5 से साझ–बाझ होकर राजस्व रेकॉर्ड में खिलाफ कानून अंकन किया है। जब फूलवती द्वारा उक्त आराजी को जरिये मुख्तयारआम हम अपीलांट्स को विक्रय कर दिया और प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया। उसके उपरांत रैस्पो0 01 लगा0 04 को उक्त आराजी पर मृतक के वारिसों को दर्ज व तस्दीक कराने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन रैस्पो0 05 द्वारा बिना मौका जांच अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर आलोच्य आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास इंतकाल सं0 1845 दि0 23.11.2015 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स के हक में इंतकाल दर्ज व तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न मुख्तयारआम व बयनामे की फोटोप्रतियों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व खातेदार फूलवती द्वारा नवल उपनाम बरकत पुत्र अमीचंद गुर्जर निवासी किशगनढबास को जरिये रजि0 मुख्तयारआम नियुक्त किया गया और मुख्तयारआम द्वारा विवादित आराजी जरिये रजि0 बयनामा अपीलांट द्वारा विक्रय किया गया है। जिसे मुताबिक पत्रावली किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना मौका जांच कर पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढ़–बास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मुख्तयारआम दि0 27.04.1974 व बयनामा दि0 27.07.1979 तथा मौके की जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05–12–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/12/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)